"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 108] रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 मार्च, 2016 — चैत्र 8, शक 1938

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 मार्च, 2016 (चैत्र 8, 1938)

क्रमांक-3803/वि. स./विधान/2016 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 12 सन् 2016) जो सोमवार, दिनांक 28 मार्च, 2016 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 12 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2016

छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्र. 21 सन् 2002) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

(2) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

धारा 3 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्र. 21 सन् 2002), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(दो-क) "भवन अनुज्ञा शुल्क" से अभिप्रेत है ऐसा शुल्क जो कि छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 21 के उप-नियम (3) के खण्ड (ख) एवं (ग) के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित किया जाये;"

धारा 6 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) में,-

(क) खण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(तीन) व्यावसायिक तथा अन्य गैर-आवासीय भवनों जो धारा 6-क के अधीन नहीं आते हों, पर शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिये, प्राधिकारी, निम्नलिखित मापदण्ड का अनुपालन करेगा, अर्थात् :-

स. क्र	अनधिकृत सन्निर्माण वाले भूखण्ड का क्षेत्रफल	देय शास्ति
(1)	(2)	(3)
1.	100 वर्गमीटर तक	भवन अनुज्ञा शुल्क का 16 गुणा
2.	100 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 200 वर्गमीटर से कम	भवन अनुज्ञा शुल्क का 21 गुणा
3.	200 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 300 वर्गमीटर से कम	भवन अनुज्ञा शुल्क का 26 गुणा
4.	300 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 400 वर्गमीटर से कम	भवन अनुज्ञा शुल्क का 31 गुणा
5.	400 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 500 वर्गमीटर से कम	भवन अनुज्ञा शुल्क का 36 गुणा

(1)	(2)	(3)
6.	500 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 600 वर्गमीटर से कम	भवन अनुज्ञा शुल्क का 41 गुणा
7.	600 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 700 वर्गमीटर से कम	भवन अनुज्ञा शुल्क का 46 गुणा
8.	700 वर्गमीटर से अधिक	भवन अनुज्ञा शुल्क का 51 गुणा"

(ख) खण्ड (चार) को विलोपित किया जाए.

4. मूल अधिनियम की धारा 6-क की उप-धारा (तीन) के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :- धारा 6-क का संशोधन.

"(ख) 120 वर्गमीटर से अधिक के भू-खण्ड के क्षेत्रफल पर निर्मित भवनों के लिये शास्ति की दर निम्नानुसार होगी,-

स. क्र	भू-खण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर वर्गीकरण	दर प्रति वर्गमीटर (रुपये में)
(1)	(2)	(3)
1.	120 से 240 वर्गमीटर तक	125
2.	240 से 360 वर्गमीटर तक	200
3.	360 वर्गमीटर से अधिक	300"

5. मूल अधिनियम की धारा 9 में, जहां कहीं भी शब्द "संचालक नगरीय नियोजन एवं विकास" आये हों के स्थान पर, शब्द "संभागायुक्त" प्रतिस्थापित किया जाए. धारा 9 का संशोधन.

6. मूल अधिनियम की धारा 10 में, जहां कहीं भी शब्द "संचालक नगरीय नियोजन एवं विकास" आये हों के स्थान पर, शब्द "संभागायुक्त" प्रतिस्थापित किया जाए. धारा 10 का संशोधन.

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत: राज्य में अनधिकृत विकास के नियमितिकरण के प्रयोजन के लिए, छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्र. 21 सन् 2002) में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 21 मार्च, 2016

राजेश मूणत
आवास एवं पर्यावरण मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्रमांक 21 सन् 2002) की धारा 3, 6, 9 एवं 10 का सुसंगत उद्धरण

* * * * * * * * * * * * * *

क्रमांक	धारा	विधेयक के वर्तमान प्रावधान
1.	धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (दो)	3 (एक) इस विधेयक में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो - (एक) "प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा 4 में गठित प्राधिकारी से; (दो) "निर्माता" से अभिप्रेत है, निवेश क्षेत्र में स्थित किसी भूमि में या भूमि पर भवन निर्माण अथवा अन्य अभियांत्रिकी संरचनाओं के सृजन में संलिप्त कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह से;
2.	धारा 6 की उप-धारा (1) में खण्ड (तीन)	शास्ति अधिरोपित करने के उद्देश्य से प्राधिकारी, किसी अनधिकृत विकास का मूल्यांकन भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य, निर्माण मूल्य इत्यादि, के आधार पर करेगा. प्राधिकारी, इसके मासिक भाड़े का मूल्यांकन भी करेगा;
3.	धारा 6 की उप-धारा (1) में खण्ड (चार)	प्राधिकारी शास्ति का निर्धारण, ऐसे मूल्यांकन तथा अनधिकृत विकास के कारण सामिप्य में आवश्यक मूलभूत अधोसंरचना की विकास लागत, के आधार पर करेगा;
4.	धारा 6-क की उप-धारा (तीन) का खण्ड (ख)	आवासीय भवनों हेतु शास्ति की दर निम्नानुसार होगी :- (ख) 120 वर्गमीटर से अधिक के क्षेत्रफल पर निर्मित भू-खण्डों पर शास्ति की दर निम्नानुसार होगी :-

भू-खण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर वर्गीकरण (1)	दर प्रति वर्गमीटर (रुपये) (2)
120 से 240 वर्गमीटर तक	100
240 से 360 वर्गमीटर तक	150
360 वर्गमीटर से अधिक	250

क्रमांक	धारा	विधेयक के वर्तमान प्रावधान
5.	धारा 9 (1), (2) एवं (3)	(1) प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश जारी होने की तिथि से तीस दिन के भीतर, संचालक नगरीय नियोजन एवं विकास को अपील कर सकेगा. (2) यदि धारा पांच में उल्लेखित आवेदक द्वारा अपील प्रस्तुत की जाती है तो, वह संचालक नगरीय नियोजन एवं विकास द्वारा सुनवाई हेतु तब तक ग्राह्य नहीं की जायेगी, जब तक अपीलार्थी द्वारा नियमितिकरण शास्ति की 50% राशि जमा न कर दी गई हो. अपील के लंबित रहने की अवधि में, अपीलकर्ता अनधिकृत विकास के मासिक भाड़े की राशि, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जावे, नियमित रूप से जमा करेगा.

क्रमांक	धारा	विधेयक के वर्तमान प्रावधान
		(3) संचालक नगरीय नियोजन एवं विकास द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति, आदेश पारित होने की तिथि से तीस दिन के भीतर, शासन को अपील कर सकेगा.
6.	धारा 10 की उप धारा (1) एवं (2)	(1) शासन, स्व प्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पर इस अधिनियम के अधीन संचालक नगरीय नियोजन एवं विकास या प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की शुद्धता, वैधानिकता या औचित्य से स्वयं की संतुष्टि हेतु अभिलेख बुला सकेगा, तथा अभिलेखों के परीक्षण होने तक, ऐसे आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा सकेगा.
		(2) शासन जैसा उचित समझे, संचालक नगरीय नियोजन एवं विकास या प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को संशोधित या उलट सकेगा.

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.